

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस
राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 49 / 2024 / बाड़मेर
अपीलांट बनाम रेस्पोंडेंटगण

1. अर्जुनराम पुत्र खेताराम	1. जवाराराम पुत्र राहूराम जाति
2. रामाराम पुत्र खेताराम	भील, निवासी गालानाडी,
3. केशाराम पुत्र खेताराम	तहसील सिणधरी, जिला
4. गवरीदेवी पत्नी खेताराम	बालोतरा
5. भेराराम पुत्र पूराराम	2. शाखा प्रबन्धक एस बी आई
6. भेराराम पुत्र पूराराम	शाखा सिणधरी
7. भारूराम पुत्र नारणाराम	3. शाखा प्रबन्धक, आर एम जी
8. जेठाराम पुत्र नारणाराम	बी शाखा सिणधरी
9. आसू पुत्र विशनाराम	4. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी
10. कुम्भाराम पुत्र विशनाराम	
11. थानाराम पुत्र विशनाराम	
12. रम्भादेवी पुत्री विशनाराम	
13. विमला पुत्री विशनाराम	
14. पेमी पुत्री विशनाराम	
जातियान जाट निवासीयान	
सिणधरी चाराणान, तहसील	
सिणधरी जिला बालोतरा	

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 13/2024 बअनवान जवाराराम बनाम अर्जुनराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 के विरुद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री गोपाल कोडेचा रेस्पोंडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-24.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 204/1 रकबा 2.0063 हैक्टर मौजा राजस्व ग्राम गालानाडी, पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी, तहसील सिणधरी जिला वालोतरा में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 205 गालानाडी, पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला वालोतरा में अवस्थित है। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक आ जा सकते हैं जिसका उपयोग कई वर्षों से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटस की सम्यक तामिल नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उतरदाता द्वारा अपीलांटगण के खेत में से रास्ता चाहा गया है जहां से पहले कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खसरा संख्या 204, 204/1 के उत्तरी भाग खसरा

राजस्व अधीन प्राधिकारी
बायमेर

संख्या 203/5 में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, उक्त खसरो के खातेदारों को आवश्यक होने के बावजूद प्रार्थी द्वारा उन्हें जानबुझकर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। रेस्पोंडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोंडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेंटस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी के हैं। इसलिए रेस्पोंडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोंडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बायनर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये उसके बावजूद जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोंडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोंडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोंडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोंडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों



राजस्व अपील प्राधिकारी
बादमेर

के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 13/2024 बअनवान जवाराराम बनाम अर्जुनराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 को यथावत रखा जाता है।


(ओमप्रकाश विशनोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर